न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 02/2023

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजदीप सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह जाति जटसिख उम्र 28 वर्ष निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

—— वादी

बनाम

1– फतेहसिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2– लखविन्द्र कौर पत्नी श्री फतेह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

3– हरजीत कौर {पुत्री श्री फतेह सिंह} पत्नी श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफ बड़ा, मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

4– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
	अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी–1,2,3)
	पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– **10.01.2023**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2(0.139 है.), 9, 12, 19 (प्रत्येक में 0.253है.), 22/2(0.210 है.)= 1.108 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1 की 0.157 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 2/1 (0.202 है.), 2/2 (0.026 है.खाला), 3/1(0.177 है.), 3/2(0.051 है.खाला), 4/1(0.202है. बारानी), 4/2(0.026है.खाला), 8/3(0.140 है.), 8/4(0.0[illegible] है.खाला), 9, 12, 19(प्रत्येक में 0.253 है.), 22/1(0.228 है.), 22/2(0.025 है.खाला) = [illegible] है. नहरी/बारानी/खाला कुल 3.113 है.{2.771 है. नहरी + 0.202 है. बारानी + 0.140 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 फतेह सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 9 वाई के मुरब्बा नम्बर 26 की 1.108 है. कृषि भूमि वादी के दादाजी प्रीतम सिंह पुत्र पूर्ण सिंह के स्वर्गवास होने के बाद की गई विरासतन नामान्तरण संख्या 413 दिनांक 05/01/2004 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं इनके भाईयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई । प्रतिवादी संख्या 1 एवं इनके भाईयो के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त परिवार की कृाि भूमि का बंटवारा करने पर बंटवारा नामान्तरण संख्या 556 दिनांक 08/04/2008 के द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई । वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम प्राप्त हुई कृाि भूमि विरासत में एवं हिन्दु संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पति के विभाजन में प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोाित करवाने का अधिकारी है। वादी ादी ुदा है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 9 वाई की कृाि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :-

राजदीप सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वाे 2019) से स्थायी के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26, 47, 54 की कुल 3.113 है. नहरी/बारानी मय खाला कृाि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2(0.139 है.), 9, 12,19 (प्रत्येक में 0.253है.), 22/2(0.210 है.) = 1.108 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1 की 0.157 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 3/1(0.177 है.), 3/2 (0.051 है. खाला), 4/1(0.202है. बारानी), 4/2(0.026 है.खाला), 8/3(0.140 है.), 8/4(0.012 है.खाला) = 0.608 है. कुल 1.873 है. {1.582 है. नहरी + 0.202 है. बारानी + 0.089 है. खाला)।

फतेहसिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वाे 2019) से स्थायी के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26, 47, 54 की कुल 3.113 है. नहरी/बारानी मय खाला कृाि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 2/1 (0.202 है.), 2/2(0.026 है. खाला), 9, 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 22/1 (0.228 है.), 22/2(0.025 है. खाला) = 1.240 है. {1.189 है. नहरी + 0.051 है. खाला} कृाि भूमि

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृाि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोाित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृाि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृाि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है । उक्त कृाि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 फतेह सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, वादी को उक्त कृाि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका ... करने की धमकियां देता रहता है । प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को ... तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृाि भूमि को ... दर्ज करवाने का अधिकारी है । वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 21/12/2022 को वादी को बंटवारा में दी गई कृाि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 4 सम्बन्धित भूमि का लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की वारिस होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनायी गयी है वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2रु. के न्याय शुल्क पर पेश है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 फतेह सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम दर्ज चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ा 2019) से स्थायी के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26, 47, 54 की कुल 3.113 है. नहरी/बारानी मय खाला कृाि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2(0.139 है.), 9, 12,19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 22/2(0.210 है.) = 1.108 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1 की 0.157 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 3/1(0.177 है.), 3/2 (0.051 है. खाला), 4/1(0.202है.बारानी), 4/2(0.026 है.खाला), 8/3 (0.140 है.), 8/4(0.012 है.खाला) =0.608 है. कुल 1.873 है. {1.582 है. नहरी + 0.202 है. बारानी + 0.089 है. खाला) कृाि भूमि वादी राजदीप सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोाित की जावे।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोा जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 फतेह सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम दर्ज चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26, 47, 54 की कुल 3.113 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2(0.139 है.), 9,12,19 (प्रत्येक में 0.253 है), 22/2(0.210 है.) = 1.108 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1 की 0.157 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 3/1(0.177 है.), 3/2(0.051 है. खाला), 4/1(0.202है.बारानी), 4/2(0.026 है. खाला), 8/3(0.140 है.), 8/4 (0.012 है.खाला) = 0.608 हो मुखे कुल 1.873 है. {1.582 है. नहरी + 0.202 है. बारानी+ 0.089 है. खाला) कृषि भूमि वादी राजदीप सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को दी हुई है।अतः प्रतिवादी संख्या 1 फतेह सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के नाम दर्ज चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26, 47, 54 की कुल 3.113 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2(0.139 है.), 9, 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है), 22/2 (0.210 है.) = 1.108 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1 की 0.157 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 3/1(0.177 है.), 3/2 (0.051 है. खाला), 4/1(0.202है.बारानी), 4/2(0.026 है. खाला), 8/3(0.140 है), 8/4 (0.012 है. खाला) = 0.608है. तीनो मुरबो का कुल 1.873

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

श्री फतेह सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 वाई ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है ।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम, 9 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालिया खाता संख्या 65/59 की प्रति पेश की। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक साक्ष्य के रूप में विरास्तन नामान्तरण संख्या 413 दिनांक 05/01/2004 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं इनके भाईयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं इनके भाईयो के द्वारा संयुक्त परिवार की कृषि भूमि का बंटवारा करने पर बंटवारा नामान्तरण संख्या 556 दिनांक 08/04/2008 के द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई । वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम प्राप्त हुई कृषि भूमि विरास्त में एवं हिन्दु संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पति के विभाजन में प्राप्त हुई होने के कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझोता के आधार पर वाद डिकी किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प–5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8–9–97 के अनुसार सहकृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिकी की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए0आई0आर0 1976 एस सी–807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधि0 के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवारिक समझौते को अधिक महत्वता दी गई है। पारिवारिक समझौता धोखा–धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझोता को मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो, पारिवारिक समझोता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–222 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र–पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती हैं जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवं बंटवारा करवा सकता है। आरआरडी 1981 के पेज 512 एवं 1978 आरआरडी पेज 375 (एच0सी0) में उपरोक्त की पुष्टि की गई है।

आदेश :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील [illegible] पक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की [illegible] holding in a suit decreed on the basis of agreement *If during pendency [illegible] suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर वाद निम्नप्रकार से डिकी किया जाता है :–

अनवान राजदीप सिंह बनाम फतेह सिंह
वाद मुकदमा नं. 02/2023

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 65/59 के मुरब्बा नम्बर 26, 47, 54 की कुल 3.113 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 2(0.139 है.), 9, 12, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 22/2 (0.210 है.)= 1.108 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1 की 0.157 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 3/1(0.177 है), 3/2 (0.051 है. खाला), 4/1(0.202 है. बारानी), 4/2(0.026 है. खाला), 8/3(0.140 है.), 8/4 (0.012 है. खाला) =0.608 है. नहरी कुल 1.873 है. {1.582 है. नहरी + 0.202 है. बारानी +0.089 है. खाला) कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.01.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:52 IST
Reason: SelfAttested